संख्या- 90/2018/1092/71-1-2018-जी-70/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झॉसी में रिसेप्शन हॉल के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3848, दिनॉक 15-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झॉसी में रिसेप्शन हॉल के निर्माण हेतु तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत कुल रू0 13,09,19,000/- (रू0 तेरह करोड़ नौ लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में रू0 383.54 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, नजीबाबाद, बिजनौर में रू0 310.42 लाख कुल रू0 6,93,96,000/- (रू0 छः करोड़ तिरानबे लाख छियानबे हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न विवरणानुसार वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

| क्र0 | परियोजना | मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में) | वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में रिसेप्शन हाल का निर्माण | 270.27 | 135.13 |
| 2 | मेडिकल कालेज, कानपुर में रिसेप्शन हाल का निर्माण | 283.24 | 141.62 |
| 3 | मेडिकल कालेज, आगरा में रिसेप्शन हाल का निर्माण | 279.25 | 139.62 |
| 4 | मेडिकल कालेज, झॉसी में रिसेप्शन हाल का निर्माण | 476.43 | 277.59 |
| | योग | 1309.19 | 693.96 |

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।

4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा-24-वृहद निर्माण कार्य-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य-42-मेडिकल कालेज, झॉसी-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1083/दस-2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( डा0 रजनीश दुबे )
प्रमुख सचिव

संख्या:- 90/2018 /1092(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद तथा झॉसी।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद तथा झॉसी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद तथा झॉसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- नियोजन-अनुभाग-4
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अनिल कुमार )

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।